पत्रांक–10/स्था0 व्यय आ0–23/2025 – 85/371 रा0,

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

प्रेषक,

चन्द्रशेखर,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
लोहरदगा, गुमला, धनबाद, लातेहार, देवघर, जामताड़ा,
बोकारो, गिरिडीह एवं पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

राँची, दिनांक– 01-12-2025

विषयः– स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष–2029–भू–राजस्व, लघुशीर्ष–104–सरकारी सम्पदाओं का प्रबंध, उपशीर्ष–01–राजस्व प्रशासन पर व्यय (उड़नदस्ता एवं सैरात रेमिशन कमिटी सहित) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में व्यय हेतु वेतन इकाई में कुल ₹13,00,97,300/–(रूपये तेरह करोड़ सन्तानवे हजार तीन सौ) मात्र का आवंटन।

महाशय,

विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत विभिन्न जिलों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में वेतन इकाई में कुल ₹13,00,97,300/–(रूपये तेरह करोड़ सन्तानवे हजार तीन सौ) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. इस राशि का ऑन लाईन आवंटन जिले के संबंधित डी0डी0ओ कोड में दिया गया है।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2) दिनांक–17.04.1998, 322/वि., दिनांक–28.01.2002, 1800/वि., दिनांक–15.07.2003 एवं 338/बजट, दिनांक–28.03.2025 के आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी के संबंध में वित्तीय नियमावली, कोषागार संहिता के प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

4. वेतन इकाई में आवंटित राशि से चिकित्सा प्रतिपूर्ति (गत वर्ष का बकाया सहित) के लिए भी निकासी की जायेगी।

5. वेतन इकाई में आवंटित राशि से नियमित वेतन की निकासी की जायेगी तथा नियमित वेतन के पश्चात् अवशेष राशि से 15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन की निकासी की जायेगी।

6. वेतन इकाई में आवंटित राशि के अतिरिक्त अन्य मदों में आवंटित राशि के विरूद्ध हुए व्यय की निकासी यथासंभव उसी माह/अगले माह में करना सुनिश्चित किया जाय।

7. आवंटित राशि का व्यय विचलन द्वारा किसी अन्य मद में करना वित्तीय अनियमितता होगी जिसकी सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मांग संख्या–40 के अतिरिक्त इकाईवार विपत्र कोड का उल्लेख किया जाय तथा व्यय विवरणी टी.भी. नम्बर एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह के 10 तारीख तक विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

9. आवंटित राशि की निकासी, हुए व्यय के अनुरूप प्रत्येक माह की जाय।

10. अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक–15.03.2026 तक अवश्य कर दिया जाय।

11. यह आवंटनादेश महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाता है।

विश्वासभाजन,

01/XII

(चन्द्रशेखर)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–10/स्था0 व्यय आ0–23/2025–26 85/310 राँची, दिनांक–01-12-2025

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/संबंधित सभी अपर समाहर्त्ता एवं जिला कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

01/XII/XXV

सरकार के सचिव।

10 / स्थापना व्यय आ०–23 / 2025.....85/भू०, राँची, दिनांक–..01-12-2025

स्थापना व्यय मुख्यशीर्ष–2029–भू–राजस्व, लघुशीर्ष–104–सरकारी सम्पदाओं का प्रबंध, उपशीर्ष–01–राजस्व प्रशासन पर व्यय (उड़नदस्ता एवं सैरात रेमीशन कमिटी सहित) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में राशि का आवंटन विवरणी :–

क्र.	कार्यालय	DDO Code	वेतन	देशीय यात्रा भत्ता	वर्दी	विधि प्रभार	योग
1	उपायुक्त, लोहरदगा	LOHLDR 006	0	100000	0	0	100000
2	उपायुक्त, गुमला	GMLDAD 002	27762300	100000	500000	600000	28962300
3	उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम	JSRDAD 001	35000000	200000	0	0	35200000
4	उपायुक्त, धनबाद	DHNDAD 023	30000000	80000	30000	295000	30405000
5	उपायुक्त, लातेहार	LTRDAD 002	0	100000	100000		200000
6	उपायुक्त, देवघर	DGRLDRA 39	25000000	0	25000	600000	25625000
7	उपायुक्त, जामताड़ा	JMTDAD 006	8000000	0	0	0	8000000
8	उपायुक्त, बोकारो	BKRLDR 014	0	0	80000	1000000	1080000
9	उपायुक्त, गिरिडीह	GRDDAD 026	0	25000	0	500000	525000
		कुल	**125762300**	**605000**	**735000**	**2995000**	**130097300**

01/XII/XX

(चन्द्रशेखर)
सचिव
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।